प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड
श्रीनगर-गढ़वाल।

Phone : + 0 1346- 25 0799
Fax : + 01346- 250799
Email: eepmgsysrinagar@rediffmail.com
eepmgsysrinagar@gmail.com

पत्रांक : /पी०एम०जी०एस०वाई०सिं०ख०/श्रीनगर/वनभूमि दिंनाक: 29/04/2022।

सेवा में,

अपर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी
देहरादून।

विषय :- **जनपद- पौड़ी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चपलोड़ी – कुल्याणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.92 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग का प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एंव जलवायु मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र), 25-सुभाष रोड़, देहरादून का पत्र सं०-08बी/यू०सी०पी०/06/84/2018/एफ०सी०/296 दिनांक 10/05/2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा प्राप्त सैदान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो की प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है की अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है :-

क्र.सं	अधिरोपित शर्त	सैदान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वार प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.84 है० ग्रम- फलद्वाडी, सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथा संशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रत्यावर्तित भूमि जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्रांक संख्या-3466/26-प्रशा०-अधि०(सा०प्रशा०/2014.15)/दिनांक पौडी 26–06–2015 द्वारा वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं नामान्तरित किया गया है **संलग्नक :-** 01 प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा कर दी गई है। **संलग्नक :-** 02(a)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007-एफ०सी० दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन०पी०वी० की धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल द्वारा प्राप्त डिमांड नोट के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी गई है। **संलग्नक :-** 02(b)
3	राज्य सरकार वृक्षों की गणना की सूची जो ऑनलाईन पार्ट-II में 178 वृक्षों के लिए अपलोड की गयी है वही सूची हार्ड कॉपी में भी इस कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	निर्माण कार्य से प्रभावित होने वाले 178 वृक्षों की सूची हार्ड कापी में संलग्न प्रेषित है। **संलग्नक :-** 03

क्रमशः -2-

Scanned with CamScanner

4	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	वचनबद्धता संलग्न है । संलग्नक :- 04
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को बैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित अहनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा CA cost, NPV etc. को बैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित आनलाईन बैंक में जमा की गई है, जिसमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नही हैं। संलग्नक :- 02(a)
6	सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी	वचनबद्धता संलग्न है । संलग्नक :- 05

विधिवत स्वीकृति हेतु अन्य आवश्यक शर्तों

7	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।	वचनबद्धता संलग्न है । संलग्नक :- 06
8	एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा। प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 5.84 है० ग्रम- फलद्वाडी सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 4927 के अर्न्तगत आरक्षित /संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।	प्रमाण पत्र संलग्न है । संलग्नक :- 07
9	प्रयोक्ता अभिकरण द्वार प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	वचनबद्धता संलग्न है । संलग्नक :- 08
10	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एंव Back Bearing अंकित किया जायेगा।	वचनबद्धता संलग्न है । संलग्नक :- 09
11	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टहफ के लिये रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।	वचनबद्धता संलग्न है । संलग्नक :- 10
12	परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।	वचनबद्धता संलग्न है । संलग्नक :- 11
13	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दशाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना **Transfer** नहीं किया जाएगा।	वचनबद्धता संलग्न है । संलग्नक :- 12

क्रमशः -3-

Scanned with CamScanner

14	कम से कम वृक्षों का कटान /पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 178 से अधिक न हो।	वचनबद्धता संलग्न है । संलग्नक :- 13
15	सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जाएगी।	वचनबद्धता संलग्न है । संलग्नक :- 14
16	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	वचनबद्धता संलग्न है । संलग्नक :- 15
17	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम / न्यायालय आदेश अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार /प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	वचनबद्धता संलग्न है । संलग्नक :- 16
18	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे। यदि विधिवत स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।	वचनबद्धता संलग्न है । संलग्नक :- 17

(वीरेन्द्र दत्त जोशी)
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड
श्रीनगर-1 गढ़वाल।

पत्रांक : 89 /पी०एम०जी०एस०वाई०सिं०ख०/श्रीनगर/वनभूमि/तदिंनाक

1. प्रतिलिपि जिलाधिकारी, पौडी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन विभाग, पौडी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक सहित: 01-17

(वीरेन्द्र दत्त जोशी)
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड
श्रीनगर-1 गढ़वाल।

Scanned with CamScanner

संलग्नक :- 01 (a)

क्र०सं०
85 अ

प्रारुप—43

परियोजना का नामः— जनपद पौडी गढ़वाल में पी०एम०जी०एस०वाई० श्रीनगर गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड पाबौ में चपलोडी से कुलयाणी मोटर मार्ग का निर्माण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम:- फलदाड़ी

पट्टी....बाली कण्डारस्यूं.....तहसील- पौडी, जिला- पौडी. की...NON-ZA.........भूमि, स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपर्युक्त है।

वन क्षेत्राधिकारी
पश्चिमी अमेली रेंज
दमदेवल

उप प्रभागीय वनाधिकारी
पौड़ी उप वनप्रभाग
पौड़ी

ह0/—
प्रभागीय वनाधिकारी
गढ़वाल वन प्रभाग
पौड़ी

Scanned with CamScanner

E-Mail/Fax

॥ कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल ॥

[illegible]

संख्या 3466 / 26 प्रशा०अ०(प्रश०) / 2014–15, दिनांक पौड़ी जून 26 2015

आदेश

उपजिलाधिकारी बा0पौड़ी ने अपने पत्र संख्या 88/ र0का0–2015 दिनांक 11 06.2015 के द्वारा चपलोड़ी– कुल्याणी मोटर मार्ग नवनिर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम फलद्वाडी पट्टी बाली कण्डारस्यूं तहसील पौडी के नान0जेड0ए0 खतौनी श्रेणी 10(3)4 के खाता संख्या 45 के खेत नम्बर 2582 कुल रक्बा 7.039 है0 भूमि मध्ये 5.840 है0 भूमि नॉन जेड0ए0 खतौनी के श्रेणी 10(3)4 भीटा अभिलेख दर्ज भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अपनी संस्तुति दी गयी है। प्रस्तावित भूमि पर कोई मन्दिर, मस्जिद या अन्य कोई धार्मिक स्थल,भवन आदि नहीं है। प्रस्तावित भूमि उत्तराखण्ड सरकार की केसर हिन्द भूमि है तथा कोई पेड़, मकान, पनघट आदि नहीं है व सार्वजनिक उपयोग की नहीं है। प्रस्तावित भूमि विवाद रहित है व प्रस्तावित भूमि वन अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है।

2. शासनादेश संख्याः 2173 / XVII (2) / 2012–18 (120)2010 दिनांक 17.12.2012 के द्वारा विभिन्न सरकारी योजना के लिए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 20,000 है0 सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्राधिकारी जिलाधिकारी को प्रतिनिधायित किया गया है।

अतः जनपद गढ़वाल के अन्तर्गत चपलोड़ी–कुल्याणी मोटर मार्ग नवनिर्माण हेतु उपजिलाधिकारी बा0पौड़ी की आख्या एवं उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार ग्राम फलद्वाड़ी पट्टी बाली कण्डारस्यूं तहसील पौड़ी के नान0जेड0ए0 खतौनी श्रेणी 10(3)4 के खाता संख्या 45 के खेत नम्बर 2582 कुल रक्बा 7.039 है0 भूमि मध्ये 5.840 है0 भूमि नॉन जेड0 ए0खतौनी के श्रेणी 10(3)4 भीटा अभिलेख दर्ज भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपजिलाधिकारी / तहसीलदार बा0पौड़ी तद्नुसार अभिलेखों में अमलदरामद की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
जिलाधिकारी,गढवाल।

प्रतिलिपिः **निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–**

1– सचिव,राजस्व अनुभाग,उत्तराखण्ड शासन,देहरादून।
2– आयुक्त,गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3– नोडल अधिकारी / प्रभागीय वनाधिकारी,गढ़वाल वन प्रभाग,पौड़ी।
4– अधिशासी अभियन्ता,पी0एम0जी0एस0वाई,सिंचाई खण्ड,श्रीनगर।
5– उपजिलाधिकारी / तहसीलदार,पौड़ी।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
जिलाधिकारी,गढवाल।

Scanned with CamScanner

संलग्नक:-02 (a)

PARIVESH परिवेश

Pro-Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Single-window Hub

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India

6:08:15 PM

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (In Rs.)		Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/10931/2015 Chaplodi - Kuliyani Motor Road Stage I & II	ROAD109312015707	6110931707	10 May 2019	CA: 1790141/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 1918440/-, nil : 0/- nil : 0/- nil : 0/- Total : 3708581/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- nil : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 23 Jul 2019 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 24 Jul 2019 Transaction Date : 01 Aug 2019	Demand Letter Generated Challan
2	FP/UK/ROAD/14553/2015 Naugaon Eda Motor Road Under ID Pmgsy Srinagar Garhwal	ROAD145532015193	6114553193	15 Mar 2018	CA: 1184772/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 1396651/-, Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 2581423/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 27 Apr 2018 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 28 Apr 2018 Transaction Date : 18 May 2018	Demand Letter Generated Challan
3	FP/UK/ROAD/10870/2015 Odagad to Nai Motor Road Stage-I & II	ROAD108702015431	113108702015431	30 Oct 2015	CA: 714857/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 1019664/-, Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 2330184/-	Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Road side plantation : 595663/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 02 Jun 2016 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 04 Jun 2016 Transaction Date : 24 Jun 2016	Demand Letter Generated Challan

Aft
Em

Note

Scanned with CamScanner

संलग्नक :- 02 (b)

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 24-07-2019

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6110931707
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/84/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	P.M.G.S.Y., IRRIGATION DIVISIONPauri Garhwal
Amount(in Rs)	3708581/-

Amount in Words :Thirty-Seven Lakh Eight Thousand Five Hundred and Eighty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	Pay to Account No.
Valid only for this challan amount.	Bank Name & Address:

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 24-07-2019

Agency Name.	EXECUTIVE ENGINEER
Application No.	6110931707
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/84/2018/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	P.M.G.S.Y., IRRIGATION DIVISION Pauri Garhwal
Amount(in Rs)	3708581/-

Amount in Words :Thirty-Seven Lakh Eight Thousand Five Hundred and Eighty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	Pay to Account No.
Valid only for this challan amount.	Bank Name & Address:

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

Scanned with CamScanner

संलग्नक:- 03(a)

प्रारूप–19

परियोजना विवरण–जनपद पौड़ी गढ़वाल में पी.एम.जी.एस.वाई. श्रीनगर गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड–पाबौ में चपलोड़ी–कुल्याणी मोटर मार्ग का निर्माण

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रस्तगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 30.05.2014 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई।

प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/व्यासवार विवरण

क्र. सं.	भूमि की श्रेणी	वन ब्लाक/कम्पार्टमेंट/खसरा सं.	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग									योग
					10-20.	20-30.	30-40.	40-50.	50-60.	60-70.	70-80.	80-90.	90 से ऊपर	
1	आरक्षित वन भूमि	—			....	....	....	....	....	---	---	---	....	0
2	सिविल सोयम	—	बांज	Quercus-Leucotrichophora	42	19	3	0					64	64
		—	चीड़	Pinus Roxburghii	44	43	21	2					110	110
		—	बुरांश	Rhododendron arboreum	0	0	2	0					2	2
		—	काफल	Myrica Sapida	0	0	2	0					2	2
3	वन पंचायत	—			--	--	--	--	--	--	--	--	--	
4	सरक्षित वन	—			--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	योग:–				86	62	28	2						178

उप वन संरक्षक
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी

Scanned with CamScanner

संलग्नक:-03(b)

परियोजना विवरण–जनपद पौड़ी गढ़वाल में पी.एम.जी.एस.वाई. श्रीनगर गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड–पाबौ में चपलोड़ी–कुल्याणी मोटर मार्ग का निर्माण

प्रमावित होने वाले वृक्षों का सारांश

भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग									योग
	10-20.	20-30.	30-40.	40-50.	50-60.	60-70.	70-80.	80-90.	90 से ऊपर	
आरक्षित वन भूमि	....	....	....	....	....	....	....	....	....	0
सिविल सोयम	86	62	28	2					178	178
वन पंचायत	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
संरक्षित वन	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
योग:–	86	62	28	2						178

उप वन संरक्षक
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी

संलग्नक :- 04

"वचनबद्धता प्रमाण पत्र"

कार्य का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चपलोड़ी - कुल्याणी मोटर मार्ग लम्बाई- **14.275** कि०मी० का निर्माण ।

शर्त संख्या-4 - शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी जिस हेतु वचनबद्धता की जाती है ।

(वी०डी० जोशी)
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम.जी.एस.वाई
सिंचाई खण्ड, श्रीनगर (ग०)

Scanned with CamScanner

संलग्नक :- 05

"वचनबद्धता प्रमाण पत्र"

कार्य का नाम :- जनपद पौड़ी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत चपलोड़ी - कुल्याणी मोटर मार्ग लम्बाई- **14.275** कि०मी० का निर्माण ।

शर्त संख्या-6 - सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जाएगी जिसके सम्बंध में वचनबद्धता की जाती है ।

(टी०डी० जोशी)
अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई.
सिंचाई खण्ड, श्रीनगर

Scanned with CamScanner

संलग्नक :- 06

"वचनबद्धता प्रमाण पत्र"

कार्य का नाम :- जनपद पौड़ी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत चपलोड़ी - कुल्याणी मोटर मार्ग लम्बाई- **14.275** कि०मी० का निर्माण ।

शर्त संख्या-7 - वनभूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी जिस हेतु वचनबद्धता की जाती है ।

(वी०डी० जोशी)
अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई.
सिंचाई खण्ड, श्रीनगर

Scanned with CamScanner

संलग्नक : 07

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत चपलोड़ी से कुल्याणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.92 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु पी0एम0जी0एस0वाई के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु ग्राम–फलद्वाडी, पट्टी बाली कण्डारस्यूं, तहसील पौड़ी के नान0जेड0ए0 खतौनी श्रेणी 10(3)4 के खाता संख्या 45 के खेत नम्बर 2582 कुल रक्वा 7.039 है0 भूमि मध्ये 5.840 है0 भूमि नॉन जेड0ए0 खतौनी के श्रेणी 10(3)4 भीटा अभिलेख दर्ज भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी है। अधिसूचना सं0 869-F/638 दिनॉक 17.10.1893 तथा उत्तर प्रदेश शासन की पत्र सं0 1506/14–2–97–800 (II)/1997 दिनॉक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। उक्त भूमि का नामान्तरण आदेश राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है जिसे पुनः संरक्षित वन घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

पत्रांक 2619 /12-1 दिनांकित, पौड़ी, ~~अप्रैल~~, 17/05/2022

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 25, सुभाष रोड़, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
7. गार्ड बुक।

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

Scanned with CamScanner

संलग्नक :- 08

"वचनबद्धता प्रमाण पत्र"

कार्य का नाम :- जनपद पौड़ी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत चपलोड़ी - कुल्याणी मोटर मार्ग लम्बाई- 14.275 कि०मी० का निर्माण ।

शर्त संख्या-9 - प्रयोक्ता अभिकरण द्वार प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा जिस हेतु वचनबद्धता की जाती है ।

(बी०डी० जोशी)
अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई.
सिंचाई खण्ड, श्रीनगर

Scanned with CamScanner

संलग्नक :- 09

"वचनबद्वता प्रमाण पत्र"

कार्य का नाम :- जनपद पौड़ी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत चपलोड़ी - कुल्याणी मोटर मार्ग लम्बाई- **14.275** कि०मी० का निर्माण ।

शर्त संख्या–10 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का चार फीट ऊँचे आर०सी०सी० पीलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एंव Back Bearing अंकित किया जायेगा जिस हेतु वचनबद्धता की जाती है ।

(वी०डी० जोशी)
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम.जी.एस.वाई.
सिंचाई खण्ड, श्रीनगर

Scanned with CamScanner

संलग्नक :- 10

"वचनबद्धता प्रमाण पत्र"

कार्य का नाम :- जनपद पौड़ी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत चपलोड़ी - कुल्याणी मोटर मार्ग लम्बाई- **14.275** कि०मी० का निर्माण ।

शर्त संख्या-11 - प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे जिस हेतु वचनबद्धता की जाती है ।

(वी० डी० जोशी)
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम.जी.एस.वाई.
सिंचाई खण्ड, श्रीनगर

Scanned with CamScanner

संलग्नक :- 11

"वचनबद्धता प्रमाण पत्र"

कार्य का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत चपलोड़ी - कुल्याणी मोटर मार्ग लम्बाई- **14.275** कि०मी० का निर्माण ।

शर्त संख्या-12- परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी।

(बी०डी० जोशी)
अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई.
सिंचाई खण्ड, श्रीनगर

Scanned with CamScanner

संलग्नक :- 12

"वचनबद्धता प्रमाण पत्र"

कार्य का नाम :- जनपद पौड़ी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत चपलोड़ी - कुल्याणी मोटर मार्ग लम्बाई- **14.275** कि०मी० का निर्माण ।

शर्त संख्या-13- वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वनभूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना **Transfer** नहीं किया जाएगा जिस हेतु वचनबद्धता की जाती है ।

(बी०डी० जोशी)
अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई.
सिंचाई खण्ड, श्रीनगर

Scanned with CamScanner

संलग्नक :- 13

"वचनबद्धता प्रमाण पत्र"

कार्य का नाम :- जनपद पौड़ी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चपलोड़ी - कुल्याणी मोटर मार्ग लम्बाई- **14.275** कि०मी० का निर्माण ।

शर्त संख्या-14 - कम से कम वृक्षों का कटान /पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 178 से अधिक न होगी जिस हेतु वचनबद्धता की जाती है ।

(वी०डी० जोशी)
अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई.
सिंचाई खण्ड, श्रीनगर

Scanned with CamScanner

संलग्नक :- 14

"वचनबद्धता प्रमाण पत्र"

कार्य का नाम :- जनपद पौड़ी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत चपलोड़ी - कुल्याणी मोटर मार्ग लम्बाई- **14.275** कि०मी० का निर्माण ।

शर्त संख्या-15 - सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जाएगी जिस हेतु वचनबद्धता की जाती है ।

(वी०डी०जोशी)
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम.जी.एस.वाई
सिंचाई खण्ड, श्रीनगर

Scanned with CamScanner

संलग्नक :-15

"वचनबद्धता प्रमाण पत्र"

कार्य का नाम :- जनपद पौड़ी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चपलोड़ी - कुल्याणी मोटर मार्ग लम्बाई- **14.275** कि०मी० का निर्माण ।

शर्त संख्या-16 - परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा जिस हेतु वचनबद्धता की जाती है ।

(ती०डी० नेगी)
अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई.
सिंचाई खण्ड, श्रीनगर

Scanned with CamScanner

संलग्नक :- 16

"वचनबद्धता प्रमाण पत्र"

कार्य का नाम :- जनपद पौड़ी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत चपलोड़ी - कुल्याणी मोटर मार्ग लम्बाई- **14.275** कि०मी० का निर्माण ।

शर्त संख्या-17 - यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम / न्यायालय आदेश अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार /प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी जिस सम्बंध में वचनबद्धता की जाती है ।

(वी०डी०नेगी)
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम.जी.एस.वाई.
सिंचाई खण्ड, श्रीनगर

Scanned with CamScanner

संलग्नक :- 17

"वचनबद्धता प्रमाण पत्र"

कार्य का नाम :- जनपद पौड़ी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत चपलोड़ी - कुल्याणी मोटर मार्ग लम्बाई- **14.275** कि०मी० का निर्माण ।

शर्त संख्या-18 - ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझते है यदि विधिवत स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है जिस हेतु वचनबद्धता की जाती है ।

(वी०डी० जोशी)
अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई
सिंचाई खण्ड, श्रीनगर

Scanned with CamScanner